

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, कासगंज।

पत्रांक 3215 / 28C

दिनांक 24/10/17

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
कासगंज।

विषय - उ० प्र० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत जनपद-कासगंज, बरेली-मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं०-33) के किमी० 135, हैमी० 2 (चैनेज किमी०-134.022) में मार्ग के दाहिनी ओर ग्राम-मानपुर नगरिया, तहसील व जनपद-कासगंज, गाटा सं० 489 प्रस्तावित क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी० में नवीन रिटेल आउट-लेट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 62 न्याय सहायक (द्वितीय)/2017 दिनांक 13.09.2017

\*\*\*\*\*

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बरेली-मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं०-33) के किमी० 135, हैमी० 2 (चैनेज किमी०-134.022) में मार्ग के दाहिनी ओर ग्राम-मानपुर नगरिया, तहसील व जनपद-कासगंज, गाटा सं० 489 प्रस्तावित क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी० जिला-कासगंज पर नवीन रिटेल आउट-लेट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जारी करने के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्लू०/एन०एच० 33023-19/99/डी० ओ० III दिनांक 31.08.2000, आर०डब्लू०/एन०एच० 33023-19/99-डी०ओ० III दिनांक 25.09.2003/17.10.2003 एवं आर०डब्लू०/एन०एच० 33023-19/99-डी०ओ० III दिनांक 24.07.2013 में दी गई गाइड लाईन एवं मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो० नि० वि० आगरा के पत्रांक 11711/116 सी०-आ०क्षे०/17 दिनांक 18.10.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है। निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन आवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
  2. प्रस्तावित निर्माण अभी आरम्भ नहीं किया गया है।
  3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित निर्माण में कोई वाद किसी न्यायालय में उ० प्र० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा 13 (1) अथवा 13 (2) के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
  4. प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम-मानपुर नगरिया की आबादी सीमा के बाहर है।
  5. प्रस्तावित स्थल बरेली-मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं०-33) के किमी० 135, हैमी० 2 (चैनेज किमी०-134.022) में मार्ग के दाहिनी ओर ग्राम-मानपुर नगरिया, तहसील व जनपद-कासगंज, गाटा सं० 489 में प्रस्तावित क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी० में स्थित है।
  6. भूस्वामित्व आख्या सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित है।
  7. आई० आर०सी०(12)1983 की प्रक्रिया के अनुसार फिलिंग स्टेशन के लिए निर्धारित माप दण्डों की पूर्ति होती है।
  8. मार्ग पर उक्त रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड़ के लिये एक किमी० दूरी पर सर्विस बैरियर नहीं है।
  9. बफर स्ट्रिप 13.00 मी० की लम्बाई एवं 3.00 मी० की चौड़ाई एवं मार्ग के मध्य से 30.00 मी० की दूरी पर बनाये जाना मानचित्र में प्रदर्शित है।
  10. रिटेल आउट-लेट पर वाहनो का प्रवेश एवं निकास, टर्निंग कर्वस रेडियस (कम से कम 13.00 मी०) की शर्तपूर्ति होती है।
  11. आवेदक को उपरोक्त स्थल पर मानचित्र में दर्शित मापों के अनुसार प्रस्तावित निर्माण कार्य रिटेल आउट-लेट लगाने की अनुमति की संस्तुति मार्ग के मध्य से 30.00 मी० की दूरी पर नाली व बफर स्ट्रिप का निर्माण तथा डिस्पेन्सिंग पम्प 40.50 मी० दूरी, भवन 60.90 मी० व टैंक 55.00 मी० दूरी पर लगाये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि -
- (क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मानचित्र के अनुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनो ओर पुलिया व पहुँच मार्ग का निर्माण लो० नि० वि० की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिए लीज डीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र एनेकजर III पर आवेदक से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

Place :- Mathura  
Date : 30.12.2017

प्रमुख अभियन्ता (रिटेल) मथुरा  
मैट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
प्लॉट नं०-1, रोड नं० 26, इन्स्ट्रियल एरिया,  
साइड-बी, पो. रिफाइनरी, मथुरा-281005

- (ख) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
- (ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल या वर्षाती पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेलआउट लेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। नाली का निर्माण मार्ग के मध्य से 30.00 मी० दूरी के अन्तिम बिन्दु पर किया जाये।
- (घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जाये।

- संलग्नक— 1 मानचित्र 2 प्रति।  
2 चैक लिस्ट आख्या 1 प्रति।  
3 लीज डीड एग्रीमेन्ट 2 प्रति में।

अधिशायी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
कासगंज  
24.10.17

पत्रांक /

दिनांक

प्रतिलिपि —

1. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो० नि० वि०, आगरा को उनके पत्रांक 11711/116 सी०-आ०क्षे०/17 दिनांक 18.10.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ वृत्त, लो० नि० वि०, अलीगढ को उनके पृष्ठांकित पत्रांक 3702/167 सी० अ०वृ०/2016 दिनांक 23.10.2017 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता (प्रथम) को सूचनार्थ।
4. अवर अभियन्ता (प्रा०)/मानचित्रकार को सूचनार्थ।

अधिशायी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
कासगंज

Place :- Mathura

Date : 30.12.2017